# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crim-I

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

रामकेवरी बनाम माधो

मुकदमा इन्द्राज इरुस्ती घोषणा नं. 70 सन् 17

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27/10/25 | पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 1 व आदेश 3 नियम 2 सीपीसी बाबत वादिनी को अपनी गवाह देने हेतु, प्रार्थना पत्र दिनांक 4.12.24 एवं प्रार्थना पत्र वास्ते पेश किए जाने मुख्तारनामा पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कियां है कि प्रस्तुत वाद में वादिनी ने वादग्रस्त आराजी को स्वयं की आराजी बताकर यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादी क्रम 1 पिछले 27 वर्षों से वादग्रस्त आराजी का एकमात्र खातेदार व काबिज चला आ रहा है वादिनी वाद के अभी वचनों को सिद्ध करने के लिए वादिनी को न्यायालय में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करना कानूनी रूप से आवश्यक है जबकि वादिनि की ओर से किशन लाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन वादिनी का शपथ पत्र नहीं है और ना हो सकता है ना ही किशन लाल द्वारा इस प्रकार का शपथ पत्र दिया जा सकता है अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादिनी द्वारा अपने वाद अभिवचनों को सिद्ध करने के लिए वादिनी का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने व उसके पश्चात ही गवाह किशन लाल को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करें।<br><br>प्रतिवादी की ओर से अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनवान वाद वादीनी ने माननीय न्यायालय में जरिए मुख्तार आम किशन लाल पुत्र रामलाल प्रस्तुत किया है प्रतिवादी/प्रार्थी को उक्त दस्तावेज मुख्तार आम की नकल नहीं दी है शपथ पत्र भी मुख्तार आम की तरफ से प्रस्तुत किया है लेकिन मुख्तार आम की नकल नहीं दिलाई गई मुख्तार आम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी प्रार्थी प्रतिवादी को मुकदमा contest करने के लिए नकल दिलाना आवश्यक है अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुख्तार आम वादिनी किशन लाल पुत्र रामलाल के मुख्तारनामा की नकल दिलाए जाने की आज्ञा प्रदान करें।<br>वादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते पेश किए जाने मुख्तारनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की ओर से उक्त वाद बहेसियत मुख्तार आम पेश हुआ है किंतु सहवन वश पत्रावली में मुख्तारनामा की प्रति पेश होने से रह गई है जिसके कारण उक्त मुख्तारनामा दस्तावेज दिनांक 29.05.19 को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित व आवश्यक किया है अतः प्रार्थना है कि उक्त मुख्तार नामा दिनांक 29.05.19 को रिकॉर्ड पर लिए जाने की कृपा करें।<br>प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 प्रार्थना पत्र दिनांक 28–02–2025 प्रार्थना पत्र वास्ते पेश किए जाने मुख्तारआम का निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत करता है कि वादीनी ने अपना वाद जरिये मुख्तारआम प्रस्तुत किया है लेकिन उसके साथ वादीनी ने असल मुख्तारनामा आज तक पेश नही किया है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नियत है, जिसमे मुख्तारआम लिखकर अपना मुख्य परीक्षण का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर रखा है। इस पर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा असल मुख्तारआम प्रस्तुत करने का प्रार्थना–पत्र दिया था कि "असल मुख्तारआम रामकवरी प्रस्तुत | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

कराया जावे।" लेकिन वादीनी ने असल मुख्तारआम प्रस्तुत नही कर प्रार्थना पत्र के साथ मुख्तारआम की फोटो कॉपी प्रस्तुत कर दी है। फोटोकॉपी प्रति मुख्तारआम साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत, रिकॉर्ड न तो लिए जाने योग्य है न साक्ष्य में ग्राहय किए जाने योग्य है। फोटोप्रति किसी भी न्यायालय में दस्तावेज के रूप में मुख्तारआम कानूनी स्वीकार योग्य नही है तथा विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी ने वसीयत सहित अपने सभी असल दस्तावेज माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए है, वादीनी को भी अपने असल दस्तावेज प्रस्तुत करने न्यायहित में अतिआवश्यक है। जब तक वादीनी असल मुख्तारआम पत्रावली पर प्रस्तुत नही करती है जब तक मुख्तारआम की वादीनी की हैसियत से साक्ष्य नही दी जा सकती तथा अमान्य है। अंतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी मुख्तारनामा दिनांक 29–05–2019 को रिकॉर्ड पर नही लिया जावे। फोटोकॉपी को रिकॉर्ड पर लिया जाना विधि विरूद्ध है इसलिए प्रार्थना पत्र दिनांक 28–02–2025 को खारिज किया जावे।

उक्त तीनो प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 1 व आदेश 3 नियम 2 सीपीसी बाबत वादिनी को अपनी गवाह देने हेतु, प्रार्थना पत्र दिनांक 4.12.24 एवं प्रार्थना पत्र वास्ते पेश किए जाने मुख्तारनामा पर उभयपक्ष को सुना गया।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 1 व आदेश 3 नियम 2 सीपीसी बाबत वादिनी को अपनी गवाह देने हेतु प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीनी ने वादग्रस्त आराजी को स्वयं की आराजी बताकर यह वाद प्रस्तुत किया है परन्तु वादीनी की ओर से शपथ पत्र पेश नही किया गया है जबकि साक्ष्य में मुख्तार आम किशनलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली एवं वाद पत्र का अवलोकन करने पर पाते है कि वादीगण की ओर से किशनलाल पुत्र रामलाल को वाद वर्णित आराजी के सम्बंध में जवाबदावा, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, राजीनामा, विड्रो प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु मुख्तार आम नियुक्त किया हुआ है। वादीगण रामकंवरी बाई वगै0 की ओर से प्रस्तुत वाद जर्ये मुख्तार आम किशनलाल पुत्र रामलाल पेश किया गया। प्रकरण में मुख्तार आम ही फर्स्ट पार्टी है जिस कारण से ही मुख्तार आम किशनलाल पुत्र रामलाल की ओर से साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 1 व आदेश 3 नियम 2 सीपीसी बाबत वादिनी को अपनी गवाह देने हेतु स्वीकार योग्य नही पाते है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 1 व आदेश 3 नियम 2 सीपीसी बाबत वादिनी को अपनी गवाह देने हेतु सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र वास्ते मुख्तारआम की प्रति दिलाये जाने एवं वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते मुख्तारआम रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया है। चूंकि वादीगण की ओर से हस्तगत वाद जर्ये मुख्तार आम पेश किया गया है जिस कारण से मुख्तार आम प्रकरण में एक आवश्यक दस्तावेज है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मुख्तारआम रिकॉर्ड पर लिये जाने एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मुख्तारआम की प्रति दिलाये जाने न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण को आदेशित किया जाता है कि असल मुख्तारआम न्यायालय में प्रस्तुत करे एवं उक्त मुख्तार आम की प्रति प्रतिवादी को उपलब्ध करावे। पत्रावली जिरह वादी वास्ते दिनांक 11/11/25 को पेश हो।